हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
किया। जिस पर उपस्थित वकील अप्रार्थीगण ने सहमति व्यक्त की।	
वकील अप्रार्थीगण की सहमति के आधार पर प्रकरण में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) पर बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पत्रावली दिनांक 24.06.2025 को पेश हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) 24.06.2025 पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को बार-बार दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम हांसपुर तहसील श्रीमाधोपुर में प्रार्थीगण ने अपनी भूमि खसरा नम्बर 1519 रकबा 1.50 हैक्टर में आने जाने हेतु भूमि खसरा नम्बर 1448 की दक्षिणी सीमा के सहारे-सहारे व आगे पूर्वी ओर के कोने तक खसरा नम्बर 1519 की दक्षिणी सीमा तक 12 फुट चौडाई के रास्ते की काश्त कार्य एंव कृषि उपज आदि को बाजार में लाने ले जाने हेतु सख्त आवश्यकता है। प्रार्थीगण इसी रास्ते से आते जाते रहे है। उक्त रास्ते को अप्रार्थीगण द्वारा वर्तमान में बन्द कर दिया है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के पास अन्य कोई रास्ता प्रार्थीगण की भूमि में जाने के लिए नहीं है। उक्त रास्ता ही लघुत्तम व निकटतम रास्ता है। जिसे राजस्व रिकार्ड व नक्शे में रास्ते के रूप में मै0 मु0 रास्ता दर्ज करवाया जाना आवश्यक है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाये ... अनुसार भूमि खसरा नम्बर 1447 ... सहारे रास्ता दिये जाने बाबत ... में निवेदन किया है। वही दौराने बहस वकील अप्रार्थीगण ने अवगत कराया कि अप्रार्थीगण भूमि खसरा नम्बर 1447 व 1448 की उत्तरी सीमा के सहारे-सहारे 10 फुट चौडाई का रास्ता भूमि खसरा नम्बर उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:00:02 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

1519 तक भूमि के बदले भूमि दिये जाने की शर्त पर रास्ता देने हेतु आज भी सहमत है तथा प्रार्थीगण पक्षकार भी इसी शर्त पर आज भी सहमत है। अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण की सहमति के आधार पर प्रार्थीगण को इसी अनुसार 10 फुट चौडाई में रास्ता प्रार्थीगण को देने हेतु अप्रार्थीगण सहमत होने बाबत अपनी बहस में निवेदन किया है।

हमने बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् पर समौर मनन किया एव पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण को अपनी भूमि खसरा नम्बर 1519 रकबा 1.50 हैक्टर में आने जाने हेतु भूमि खसरा नम्बर 1447 व 1448 की उत्तरी सीमा के सहारे-सहारे 10 फुट चौडाई के रास्ते की काश्त कार्य एंव कृषि उपज आदि को बाजार में लाने ले जाने हेतु सख्त आवश्यकता होना तथा उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण को अपने निजी आराजीयात में जाने हेतु वर्तमान में अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होना एंव ना ही वैकल्पिक रास्ता ही उपलब्ध होना तथा प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता ही निकटतम होना प्रकट होता है। उक्त रास्ते हेतु वकील अप्रार्थीगण ने भी पूर्व में दिनांक 05.01.2023 को अपनी सहमति प्रकट की जाकर आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर अंकित किये है तथा दौराने बहस भी वकील अप्रार्थीगण ने पूर्व में दी गई सहमति से आज भी सहमत होने बाबत अपने हस्ताक्षर अंकित किये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:00:02 IST
Reason: SelfAttested

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम- 1955 ... के सम्बन्ध में किये गये प्रावधानों के सम्बन्ध में एव राज्य सरकार ... किसानों को उनके कृषि जोत तक आने व जाने तथा अपने कृषि यंत्रों/साधनों को ले जाने बाबत लघुत्तम व निकटतम रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है। प्रार्थीगण ने भी न्यायालय के समक्ष अपने द्वारा चाहे गये रास्ते की भूमि के बदले भूमि देने की शर्त पर रास्ता

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए

लिये जाने बाबत अवगत कराया गया है। अप्रार्थीगण ने भूमि खसरा नम्बर 1447 व 1448 की उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे 10 फुट चौड़ाई का रास्ता देने हेतु सहमती प्रकट की है। अतः प्रार्थीगण के पास इस रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही होने की स्थिति मे प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत चाहे गये रास्ते के सम्बन्ध में 10 फुट चौडाई का रास्ता दिये जाने बाबत अप्रार्थीगण द्वारा सहमति व्यक्त कर दिये जाने से रास्ता दिया जाना उचित प्रतित होता है।

अतः ऐसी स्थिति मे प्रार्थी की जोत पर आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने, कृषि योग्य भूमि का अतिरिक्त क्षय नहीं होने, जोत की सुविधाजनक उपयोग हेतु नहीं होकर आत्यंतिक आवश्यकता होने तथा मुख्य सड़क व मुख्य आबादी से निकटतम /लघुत्तम होने के कारण प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955 के तहत प्रार्थीगण द्वारा 10 फुट चौड़ाई में चाहे गये रास्ते हेतु प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। उक्त रास्ते के उपयोग में आने वाली बिलानाम सरकार किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जाना उचित प्रतित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:00:02 IST
Reason: SelfAttested

—:: क्रियात्मक आ[illegible]

अतः उपयुर्क्त विवेचन अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (अ) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955 को स्वीकार किया जाता है तथा पूर्व में दिनांक

उपखण्ड अधिकारी (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	08.01.2023 को दोनों पक्षों में हुई सहमति के अनुसार निर्णय किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1519 रकबा 1.5000 हैक्टर अवस्थित तन ग्राम हासपुर तहसील श्रीमाधोपुर में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण भूमि खसरा नम्बर 1447 व 1448 की उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे 10 फुट चौडा रास्ता देगें जिसके बदले रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले उतनी ही भूमि प्रार्थीगण अपने भूमि खसरा नम्बर 1519 की पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे अप्रार्थीगण को भूमि देगा/के नाम करायेगा। इस बाबत तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि उक्तानुसार भूमि की गणना की जाकर प्रार्थीगण द्वारा रास्ते में जा रही भूमि के बराबर भूमि अप्रार्थीगण के नाम करवाये जाने पर अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 1447 व 1448 की उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे रिकार्डेड रास्ता लाल स्याही से प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 1519 तक 10 फीट चौडा रास्ता कायम कर रिकार्ड में दर्ज करेगें। उक्त रास्ते के उपयोग में आने वाली बिलानाम सरकार किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जावें। चूंकि रास्ते में लगने वाली भूमियॉ बिला नाम सरकार किस्म गै०मु० रास्ता दर्ज होने के कारण उक्त भूमियों की खातेदारी से (रकबा रास्ता कम करने के बाद) खातेदारी बदस्तूर जमाबन्दी रखी जावे। [illegible] तहसीलदार श्रीमाधोपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे [illegible] गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Anil Kumar Date: 2025.08.27 13:00:02 IST Reason: SelfAttested (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)